आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
25/2/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 70/2011** **तेजनारायण सिंह बनाम राज्य एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC सं0 20290/2011 तेजनारायणं सिंह बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 28.2.2013 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। उक्त रिट याचिका अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के आदेश ज्ञापांक 456 दिनांक 12.9.2011 के विरूद्व वाद दायर किया गया है। द्वायर अपील वाद की सुनवाई की गई। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि तेज नारायण सिंह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम पंचायत मुजौना, प्रखंड–दरियापुर के विरूद्व माननीय चतुर्थ सत्र न्यायाधीश, छपरा के न्यायालय के न्यायालय के द्वाय सं0 113/1981 तथा माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच द्वारा किमिनल अपील सं0 206 (डी0बी0) 1985 में दिनांक 15.12.1997 को पारित न्याय निर्णय में भा0द0वि0 की धारा 323 के तहत अभियुक्त करार देते हुए उनके जेल अवधि को कैद तथा मो0– 500/– (पॉच सौ) रूपये जुर्माना की सजा मुकर्रर की गयी थी। जॉच प्रतिवेदन एवं सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के ज्ञापांक 1874 दिनांक 9.4.2008 से प्राप्त निर्देश के आलोक में तेजनारायण सिंह की अनुज्ञप्ति सं0 109/2007 को तत्कालिक प्रभाव से रद्द कर दिया गया था। अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता ने बतलाया कि अपीलार्थी के विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध सिद्व नहीं हुआ है, बल्कि किसी अन्य सेक्शन में हुआ है। इसलिए यह अपीलार्थी पर लागू नहीं होता है। यह भी बतलाया कि अपीलार्थी की दूकान से सम्बद्व किसी उपभोक्ता का कोई शिकायत नहीं है। अपीलकर्त्ता द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के	

नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है, इसलिए अनुज्ञप्ति बहाल करने हेतु अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने बतलाया अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति उनके फौजदारी मुकदमें में दोषी सिद्ध होने के आधार पर ही रद्द की गयी है, जो सही है। यह भी बतलाया कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के पत्रांक 1874 दिनांक 9.4.2008 में भी स्पष्ट निर्देशित है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता को किसी भी आपराधिक मामले में सजा दी जाती है, तो उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाए।

उभय पक्षों को सुना तथा अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त पाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी, सोनपुर के द्वारा अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति सं० 109/2007 को उनके फौजदारी मुकदमें में दोषी सिद्ध होने के आधार पर रद्द कर दिया गया। विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी के विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध सिद्व नहीं हुआ है, बल्कि किसी अन्य सेक्शन में हुआ है। अतः यह उस पर लागू नहीं होता है। विज्ञ अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का संदर्भ भी दिया, परन्तु संदर्भित आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अभिलेख में संलग्न खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक 1874 दिनांक 9.4.2008 का अवलोकन किया, जिसमें स्पष्ट रूप से यह प्रतिवेदित किया गया है कि कोई भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता किसी भी अपराधिक मामले में यदि सजा दी जाती है, तो उसकी अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाए। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में ही अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द की गयी है। फलतः प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 93 दिनांक 2|3|18

प्रतिलिपि – अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित / NIC पदाधिकारी, सारण [illegible] को सूचनार्थ प्रेषित।

[illegible] अपर समाहर्त्ता
2/3/18 जिला लोक शिकायत, सारण